संख्याः– 715 /XXVIII(1)/ 2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 13 : अगस्त,2014

वित्त अनुभाग–1

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2014–15 द्वितीय किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय **राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के** आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2014–15 की द्वितीय किश्त की धनराशि **₹190497000.00 (₹उन्नीस करोड़ चार लाख सत्तानबे हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों व पेंशन पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) का मानदेय शासनादेश सं0 2004/XII/2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर,2011 में उल्लेखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास मदों पर व्यय की जायेगी।

- **वर्तमान किश्त भी विगत वर्ष की तरह वित्तीय वर्ष 2013–14 की द्वितीय किश्त के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।** आगामी किश्तों में **प्रोत्साहन और हतोत्साहन** की प्रणाली लागू की जायेगी, जो जिला पंचायतें विभव व सम्पत्ति कर नहीं लगायेंगी उनका अंश इसी स्तर पर रोक दिया जायेगा तथा उन्हें राज्य में कर राजस्व में वृद्धि होने की वजह से मिलने वाली बढ़ोत्तरी पाने का हक नहीं होगा। विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली जिला पंचायतों को आधार के राजस्व में प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अन्तरण में उनके हिस्से में 5 प्रतिशत अधिकतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दी जायेगी।
- विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली पंचायतें अगली किश्त अवमुक्त होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभव व सम्पत्ति कर से प्राप्त धनराशि का विवरण बढ़ोत्तरी में तुलनात्मक धनराशि व उसका वृद्धि प्रतिशत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तब ही अगली किश्त कर राजस्व में वृद्धि के अनुसार अवमुक्त की जा सकेगी।

3- कोषागार से संक्रमित की गयी धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5- उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/ वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लाक सचिवालय देहरादून, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में अवमुक्त सभी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6- अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता–प्रमाण 30 नवम्बर,2014 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

7- संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें/परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव, वित्त।

संख्या:– 715 /(1)/XXVII(1)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लाक, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एम.पन्त)
अपर सचिव, वित्त।